संख्या-1088/2026/327/22-2-2026-17(76)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 19 अगस्त, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार फतेहगढ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी जीशान पुत्र श्री अहसान, निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-4400/प्रो0अनु0(7)/14/2025(बैठक दिनांक 19.01.2026) दिनांक-16.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार फतेहगढ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी जीशान पुत्र श्री अहसान, मन्नूखेड़ा चौराहा, थाना-सण्डीला, जिला-हरदोई का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2017 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने की घटना कारित की गई। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-202/2017 में धारा-363, 366 आई०पी०सी० एवं धारा-4 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), हरदोई के आदेश दिनांक 01.08.2022 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय लखनऊ, खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 12.10.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष, 07 माह तथा 05 वर्ष, 04 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध से ग्राम के अन्य बालक बालिकाओं में डर व्याप्त होने, बन्दी के रिहा होने पर पीड़िता के परिवारीजन के मध्य आक्रोश होने के कारण घटना के घटित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के रिहा होने पर उस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप कोई घटना घटित हो सकने, बन्दी के कारागार से रिहा होने पर परिवारजन में विवाद होने की सम्भावना होने, बन्दी के परिवार में माता पिता एवं दो बहने है जो ग्राम में रहती है जिनसे पीड़िता पक्ष के मध्य कटुता बनी होने की आख्या उपलब्ध कराते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा 03.09.2017 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने की घटना कारित की गई। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जीशान पुत्र श्री अहसान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जीशान (बन्दी संख्या-28612) पुत्र श्री अहसान, निवासी जनपद-हरदोई के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1088/2026/327(1)/22-2-2026 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1088/2026/327/22-2-2026-17(76)/2026

दिनांक: 19 अगस्त, 2026 का संलग्नक

केन्द्रीय कारागार फतेहगढ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी जीशान पुत्र श्री अहसान, मन्नूखेड़ा चौराहा, थाना-सण्डीला, जिला-हरदोई का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2017 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने की घटना कारित की गई। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-202/2017 में धारा-363, 366 आई०पी०सी० एवं धारा-4 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), हरदोई के आदेश दिनांक 01.08.2022 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय लखनऊ, खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 12.10.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष, 07 माह तथा 05 वर्ष, 04 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध से ग्राम के अन्य बालक बालिकाओं में डर व्याप्त होने, बन्दी के रिहा होने पर पीड़िता के परिवारीजन के मध्य आक्रोश होने के कारण घटना के घटित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के रिहा होने पर उस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप कोई घटना घटित हो सकने, बन्दी के कारागार से रिहा होने पर परिवारजन में विवाद होने की सम्भावना होने, बन्दी के परिवार में माता पिता एवं दो बहने है जो ग्राम में रहती है जिनसे पीड़िता पक्ष के मध्य कटुता बनी होने की आख्या उपलब्ध कराते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा 03.09.2017 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने की घटना कारित की गई। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जीशान पुत्र श्री अहसान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in